न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 218 / 2022 निर्णय दिनांकः 22.11.2024
ऑनलाईन नम्बर 2022 / 320

देवीलाल पुत्र गुमानसिंह पुरोहित निवासी बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. मोहनसिंह कथित पुत्र रामसिंह जाति पुरोहित निवासी 35 / 401 गुजरात हाऊसिंग बोर्ड, गांधी धाम, कच्छ (गुजरात)
2. जड़ाव पुत्री कथित रामसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति राजपुरोहित निवासी अड़वा तहसील व जिला पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान्जी प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशार पुत्रगण बहादूरसिंह के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 तादादी 19.42 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 59 तादादी 76 बीघा 16 बिस्वा), खसरा नम्बर 60 तादादी 1.72 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 58 तादादी 6 बीघा 16 बिस्वा), खसरा नम्बर 94 तादादी 6.25 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 67 तादादी 24 बीघा 14 बिस्वा), खसरा नम्बर 134 तादादी 4.19 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 108 तादादी 15 बीघा 04 बिस्वा) कुल कीता 4 कुल तादादी 31.58 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इन खेतों पर टेनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशार पुत्रगण बहादूरसिंह की कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रार्थी के पिता गुमानसिंह जो अन्नेसिंह के पुत्र थे। अन्नेसिंह के दो लड़के गुमानसिंह व जससिंह हुए। जससिंह लाऔलाद फौत हुआ। गुमानसिंह के बड़े पुत्र बहादूरसिंह हुए। जागीरदारी के समय से ही वादगत खसरा भूमि का कब्जा काश्त प्रार्थी के पिता गुमानसिंह का चला आ रहा था। अन्नजी के पीढियों में गजराज नामक भाई था जिसके लछमणसिंह पुत्र हुए जो कभी कभार प्रार्थी के पिता गुमानसिंह की जमीन काश्त करते थे। लछमणसिंह सम्वत् 2010 से पूर्व ही बापेऊ ग्राम छोड़कर चले गये जो कभी वापस नहीं आये व ना ही वादगत खसरान भूमि को काश्त किया परन्तु राजस्व रिकार्ड में लछमणसिंह का नाम गलत रूप से चलता रहा है जो कि वास्तविक स्थिति के विपरीत दर्ज हुआ है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

रामसिंह पुत्र लिछमणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि वादगत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है यह इन्द्राज हर प्रकार से अवैध व शून्य है। कथित रामसिंह नाम का कोई व्यक्ति ग्राम बापेऊ का नहीं है ना ही लछमणसिंह के कोई लड़का रामसिंह के नाम से हुआ है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कथित रामसिंह के वारिसान होने का दावा कर वादगत खसरान भूमि पर बिना किसी अधिकार के येन–केन–प्रकारेण प्रार्थी से हड़प करना चाहते है। वादगत खसरान भूमि जागीरदारी के समय से ही प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशार पुत्रगण बहादूरसिंह के पूर्वजों के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है जिस पर प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशार सधिकार काबिज काश्तकार है । प्रार्थी समय समय पर भूमि काश्त का लगान अदा करता चला आया है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कथित रामसिंह पुत्र लछमणसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी विधि विरूद्ध व गलत रूप से दर्ज हुई है। इस इन्द्राज को अवैध व शून्य घोषित करवाकर रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन का दावा अनुवानी देवीलाल आदि बनाम रामसिंह आदि वादी ने तत्कालीन उपखण्ड न्यायालय रतनगढ़ में पेश किया था । प्रार्थी का उक्त दावा न्यायालय द्वारा डिक्री फरमाया गया। उक्त दावा निर्णय दिनांक 17.05.1997 की अपीले की गई । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा वादगत खसरान भूमि से सम्बन्धित अपील का निर्णय दिनांक 25.11.2010 को किया गया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने विवेचन किया कि अपीलान्ट (प्रार्थीगण) रामसिंह के वारिसान को पक्षकार बनाते हुए पुनः नया दावा पेश करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है। इस माह शुरू में प्रार्थी को जानकारी हुई कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 कथित रामसिंह के वारिसान बताकर रामसिंह के नाम दर्ज चली आ रही भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने की फिराक में है तब वादी ने राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रही अपीलों की जानकारी अपने वकील से करनी चाही तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के वकील की मृत्यु काफी समय पूर्व हो गई, जिस पर प्रार्थी को उक्त अपील के निर्णय की सूचना नहीं हो सकी, फिर प्रार्थी ने इस माह अजमेर जाकर अपनी पत्रावली के बारे में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपीले निर्णित हो चुकी है, तब प्रार्थी ने किसी अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील निर्णय की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 17.11.2022 को प्राप्त की। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से दिनांक 18.11.2022 को निवेदन किया कि वादगत खसरान भूमि से आपका कोई लेना देना नहीं है ना ही आपका कभी कोई कब्जा काश्त रहा है, आप कथित रामसिंह के वारिस बनकर हमारी कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि को हड़पने का प्रयास नहीं करें ना ही किसी प्रकार से विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाये तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कहा कि हमने रामसिंह के वारिसान के दस्तावेज अपने नाम तैयार करवाये है, हम लाखों रुपयों की जमीन अपने नाम दर्ज करवाकर शीघ्र ही किसी को रहन वहन व विक्रय कर देंगे । प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर पुत्रगण बहादूरसिंह अपनी जागीर समय से ही चली आ रही कृषि भूमि को सधिकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकार रखते है। कथित रामसिंह के नाम गलत व विधि विरूद्ध शुरू से ही गलत दर्ज भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर कथित रामसिंह का नाम रिकार्ड से हटवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रामसिंह के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी व मांगीलाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:12 IST
Reason: Self Attested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ओमप्रकाश, किशोर पुत्रगण बहादूरसिंह अपने नाम घोषित करवाने का अधिकार रखते है। वादगत खसरान भूमि प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर पुत्रगण बहादूरसिंह ने मौके पर हिस्सा पांति कर सींव आदि कायम कर वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। वादगत खसरा नम्बर 59 का आथुणा हिस्सा की 46 बीघा भूमि वादी व खसरा नम्बर 134 की सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थी काश्त करता है। खसरा नम्बर 59 का अगुणा हिस्सा 30 बीघा 16 बिस्वा मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर पुत्रगण बहादूरसिंह के कब्जे काश्त में है तथा खसरा नम्बर 60 की भूमि को भी मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर काश्त करते है। खसरा नम्बर 94 को मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर काश्त करते है। मौके पर उक्त विभाजन अनुसार सीमाये बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का मौका पर उक्त खसरान भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी अपनी पैतृक कृषि भूमि का मौका कब्जा काश्त व पारिवारिक बंटवाराअनुसार विधिवत रूप से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादगत खसरान भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर का अपने हक हिस्से की भूमि को लगातार रूप से काश्त करते चले आने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी वृद्ध व गरीब कृषि पैशा व्यक्ति है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थी को दिनांक 18.11.2022 को एलानियां धमकी दी है कि अब हम रामसिंह के वारिसान बनकर तुम्हारे कब्जे काश्त की भूमि में जबरदस्ती प्रवेश कर तुम्हे बेदखल करेंगे, आईन्दा यदि खेत में आ गये तो खून खराबा कर तुम्हें जान से मार देंगे, इस बात पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि हम वर्षो से हमारी विरास्तन भूमि को काश्त करते चले आये है तुम्हारा कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, अब जबरदस्ती हमारे खेत में प्रवेश कर हमारे कब्जे काश्त में कोई दखल नहीं करें परन्तु अप्रार्थीगण अब ऐलानियां हमारी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अगर अप्रार्थीगण अपने गलत मन्सूबों में सफल हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, इस प्रकार अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 59 तादादी 19.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 तादादी 1.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 तादादी 6.25 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 134 तादादी 4.19 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल तादादी 31.5800 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहित तहसील श्रीडूंगरगढ़ को किसी भी तरह से विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो। अप्रार्थीगण तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय रेवन्यू बोर्ड अजमेर के न्यायकि दृष्टान्त आरआरडी 1998 पृष्ठ संख्या 251 से 253, आरआरडी पृष्ठ संख्या 163 से 167 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि वर्णित खसरा के 1/2 हिस्सा की खातेदारी हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के नाम है। 1/2 हिस्सा भूमि पर हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह अपने जीवनकाल के काश्त करते व करवाते थे, हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंहजी की मृत्यु दिनांक 14.11.1989 को हो गई, उनकी मृत्यु के बाद हम अप्रार्थीगण वादगत खेत में स्थित अपने 1/2 हिस्सा भूमि कभी काश्त करते व करवाते है, कभी बिना काश्त ही रखते है। वादगत खेत के 1/2 हिस्सा पर प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर, कमला का अधिकार है तथा 1/2 हिस्सा पर हम अप्रार्थीगण का अधिकार है। अन्नेसिंह के सगे भाई का नाम गजराजसिंह था। गजराजसिंह के एक पुत्र लक्ष्मणसिंह हुआ। लक्ष्मणसिंह के रामसिंह पुत्र हुआ, रामसिंह के मोहनसिंह व जड़ाव उर्फ पूनम दो संताने हुई। वादगत खेतो के 1/2 हिस्सा को हम अप्रार्थीगण के पूर्वज गजराजसिंह काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद लक्ष्मणसिंह काश्त करते रहे, लक्ष्मणसिंह की मृत्यु के बाद वादगत खेत के 1/2 हिस्सा को हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह काश्त करते रहे। हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह गांव में मजदूरी नहीं होने से पहले गुजरात गये थे, वहां से अपना धन्धा समेट कर सादिना बास, सोकड़ा तहसील बाली में आ गये। समय–समय पर पैतृक गांव बापेऊ आते–जाते रहते थे। हम अप्रार्थीगण की के पिता की मृत्यु के बाद हम अप्रार्थीगण भी समय–समय पर पैतृक गांव बापेऊ आते–जाते रहते है। वादगत भूमि के 1/2 हिस्सा को प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर, कमला के वारिस काश्त करते थे तथा 1/2 हिस्सा भूमि हम अप्रार्थीगण के पूर्वज काश्त करते थे। कब्जा काश्त के आधार पर ही वादगत खेत की खातेदारी हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुई है। जब लगान लगता था तो 1/2 हिस्सा का लगान हम अप्रार्थीगण के पूर्वज अदा करते रहे है। हम अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद लगान लगना ही बन्द हो गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य कि ''वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कथित रामसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी विधि विरूद्ध व गलत रूप से दर्ज हुई है'' गलत बयानी होने से स्वीकार नहीं, इन्कार किया जाता है। प्रार्थी ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ में हम अप्रार्थीगण के मृत पिता रामसिंह को पक्षकार बनाकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा पेश किया और न्यायालय को मुगालता में रखकर दावा डिक्री करवा लिया, जब हम अप्रार्थीगण को प्रार्थी देवीलाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोर्ट रतनगढ़ में दर्ज दावा के डिक्री होने की जानकारी हुई तो मुझ अप्रार्थी [illegible] द्वारा उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ के निर्णय व डिक्री की अपील आर.ए.ए. बीकानेर की, जो स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को कानून की भूल करार देकर निरस्त कर दिया। आर.ए.ए. बीकानेर के निर्णय की अपील हस्तगत प्रार्थना पत्र के प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

देवीलाल द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर में की गई, राजस्व मण्डल अजमेर ने भी प्रार्थी की अपील खारिज कर दी, इसलिये अब हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी का चलने योग्य ना होकर काबिले खारिज है। हम अप्रार्थीगण रामसिंह के पुत्र/पुत्री होने से रामसिंह के जायज व कानूनी वारिस है। प्रार्थी द्वारा वर्णित कथित अपील का फैसला सन् 2010 में ही हो गया था। प्रार्थी ने अपने वकील से कब सम्पर्क किया, वकील साहब की मृत्यु कब हो गई, यह प्रार्थी ने जानबूझकर अंकित नहीं किया । प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्थापित न्यायिक परम्परा व प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहा है। प्रार्थी ने सन् 2010 में फैसला हुई अपील के बारे में सन् 2022 में क्यों पता किया, पहले क्यो नहीं किया, क्या प्रार्थी 10–12 वर्षो तक अपने वकील साहब से सम्पर्क में नही रहा । प्रार्थी का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादगत जमीन हम अप्रार्थीगण की पैतृक जमीन है । वादगत जमीन की खातेदारी हम अप्रार्थीगण के पिता का 1/2 हिस्सा में नाम दर्ज है। हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह की मृत्यु के बाद रामसिंह के नाम की खातेदारी जमीन के हकदार हम अप्रार्थीगण ही है । रामसिंह का नाम पूर्णतया विधि सम्मत तरीके से दर्ज हुआ था । वादगत खेतो की खातेदारी में रामसिंहजी के पूर्व रामसिंह के पिता लक्ष्मणसिंह का नाम सम्वत 2003 की जमाबन्दी (राजस्व रेकार्ड) में चला आ रहा है। वादगत भूमि पैतृक भूमि होने से वादगत भूमि के 1/2 हिस्सा की खातेदारी में हम अप्रार्थीगण का जायज व कानूनी अधिकार है। प्रार्थी ने वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड में दर्ज रामसिंह के 1/2 हिस्सा की खातेदारी भूमि अपने व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के नाम दर्ज करवाने हेतु पूर्व में भी दावा प्रस्तुत किया, जो खारिज हो चुका है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की आड़ में तथ्यो को वास्तविकता के विपरित दर्ज करवाया है, वादगत भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड में हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी है। वादगत खेतो के 1/2 हिस्सा प्रार्थी व मांगीलाल, ओमप्रकाश, किशोर, कमला के व 1/2 हिस्सा हम अप्रार्थीगण का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाता है तो हमे आपति नहीं है। वादगत भूमि बाबत पारिवारिक तौर पर कभी भी विभाजन नहीं हुआ। वादगत खेत के 1/2 हिस्सा की खातेदारी हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के नाम दर्ज है, हमारे पिता रामसिंहजी की मृत्यु हो चुकी है, हम रामसिंहजी के जायज व कानूनी वारिस है, इसलिये हम अप्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है । प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के नाम की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती काबिज होना चाहते है. इसलिये प्रार्थी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि प्रार्थी अपने गलत मन्सुबो में कामयाब हो जाता है तो हम अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं, इन्कार किया जाता है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने वादगत खसरान भूमि बाबत एक दावा घोषणात्मक विभाजन [illegible] दुरूस्ती व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का पूर्व में न्यायालय ए.सी.एम. सुजा[illegible]लाल आदि बनाम रामसिंह वगैरह प्रस्तुत किया जो बाद में अन्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ को सुनवाई हेतु दिया गया, उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ के न्यायालय में मु. नं. 253/95 की संख्या पर दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रजिस्टर किया। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने हम अप्रार्थीगण के पिता को पक्षकार बनाया और हम अप्रार्थी के पिता रामसिंह की मृत्यु की जानकारी होते हुये तथा हम अप्रार्थीगण का रामसिंह का वारिस होने की जानकारी होते हुये हमे पक्षकार नहीं बनाया और मृत व्यक्ति रामसिंह के विरुद्ध दावा पेश किया और उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ से हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह का दावा दायरी से पूर्व ही मृत होने व रामसिंह के हम अप्रार्थीगण वारिस होने से तथ्य को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया और न्यायालय से तथ्य छुपाकर दावा डिक्री करवा लिया, जिसकी जानकारी हम अप्रार्थीगण को हुई तो अप्रार्थी मोहनसिंह ने उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.07.1997 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में की तो आर.ए.ए. बीकानेर ने प्रार्थी देवीलाल वगैरह द्वारा रामसिंह की मृत्यु के तथ्य छुपाकर उपखण्ड अधिकारी कोर्ट रतनगढ़ से दावा प्रस्तुत करने का तथ्य जानकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 253/95 में उपखण्ड अधिकारी कोर्ट रतनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रार्थी का दावा/खारिज कर दिया। आर.ए.ए. बीकानेर के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रार्थी देवीलाल द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में की, जो अपील राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज फरमा दी गई। अव प्रार्थी उन्ही तथ्यो पर पुनः प्रार्थना पत्र ले आया है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा (Rasjudicata) की परिधि में आने से इसी आधार पर काबिले खारिज है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने स्वयं मुझ अप्रार्थी मोहनसिंह का सही पता जानते हुये सही पता नहीं लिखा। मुझ अप्रार्थी मोहनसिंह का पता मोहनसिंह पुत्र रामसिंह राजपुरोहित निवासी सोकड़ा तहसील बाली जिला पाली है, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जानबूझकर मुझ अप्रार्थी का सही पता नही लिखा ताकि रतनगढ़ वाले दावा की तरह यह वाद भी एक तरफा डिक्री करवा लिया जावे, प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है और इसी आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। वादगत खेत खसरा नम्बर 59 तादादी 19.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 तादादी 1.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 तादादी 6.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 तादादी 4.19 हैक्टेयर कुल तादादी 31.58 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान में हम अप्रार्थी के पिता रामसिंह की 1/2 हिस्सा की खातेदारी है। खसरा नम्बर 59 पुराने खसरा नम्बर 59 सम्वत 2016 से पहले के खसरा नम्बर 42 मिन, खसरा नम्बर 60 पुराने खसरा नम्बर 58 सम्वत् 2016 से पहले के खसरा नम्बर 42 मिन, खसरा नम्बर 94 पुराने खसरा नम्बर 67 सम्वत 2016 से पहले के खसरा नम्बर 48, खसरा नम्बर 134 पुराने खसरा नम्बर 108 सम्वत् 2016 से पहले के खसरा नम्बर 87 रोही बापेऊ पुरोहितान सम्वत् 2003 की जमाबन्दी में खातेदार के रूप में हम अप्रार्थीगण के दादा लक्ष्मण वल्द गजराज का निस्फ (1/2) हिस्सा दर्ज है। हम अप्रार्थीगण के दादा ने अपने जीवनकाल में वादगत खेतो का 1/2 हिस्सा काश्त किया और उसके बाद हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह ने काश्त किया व करवाया। पैतृक आधार पर ही वादगत खेतो की खातेदारी में हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुई है। रामसिंह का [illegible] गुजरात रहते थे, हम अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह की मृत्यु दिनांक 14.11.1989 [illegible] हो [illegible], हम अप्रार्थीगण की माता तीजो बाई की मृत्यु दिनांक 03.12.1972 को गांव सोकड़ा [illegible] बाली जिला पाली में हो चुकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

थी, हम अप्रार्थीगण कानूनी पैचिदगियो से अनजान थे, हम तो यही जानकारी थी कि रामसिंह की मृत्यु के बाद नामान्तरण हमारे नाम से दर्ज हो जायेगा, इस वजह से हम अपने पिता की मृत्यु के बाद वादगत खेतो का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत कार्यवाही नहीं की, इसी का फायदा उठा कर प्रार्थी देवीलाल ने सन् 1995 में दावा कर दिया और तथ्यो को छुपाकर दावा डिक्री करवा लिया, जिसकी अपील हुई, इन सब कार्यवाही के चलते इतने दिन हम अप्रार्थीगण के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही हो सका । हम अप्रार्थी ने अब विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही की तो प्रार्थी ने बदनियति से यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो काबिले खारिज है प्रार्थी देवीलाल का भाई मांगीलाल कई बार हम अप्रार्थी के पास गया है। मांगीलाल दिनांक 11.11.2022 को मुझ अप्रार्थी जडाव उर्फ पूनम के घर गया था और मुझ अप्रार्थी जड़ाव को बहन होने के नाते व खुद भाई होने के नाते 200/– रुपये भी दिये तथा फोटो भी खिंचवाई, चचेरा भाई मांगीलाल व प्रार्थी को स्पष्ट रूप से हम अप्रार्थीगण का रामसिंह के वारिस होने का ज्ञान है। रामसिंह के हम ही वारिस है, वादगत खेतो की खातेदारी में रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि बाबत प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खाजिर किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायलय जयपुर क न्यायिक दृष्ट्रान्त आर आर डी 1993 पृष्ठ संख्या 650 से 653, आर आर डी 1989 पृष्ठ संख्या 758 से 761, माननीय न्यायालय रेवन्यू बोर्ड अजमेर के न्यायिक दृष्ट्रान्त आर एल डब्ल्यू 2005 (2) आरजे पृष्ठ संख्या 338 से 341, 1988 (1)डब्ल्यूएलएन(रेवन्यू) पृष्ठ संख्या 138 से 139, पृष्ठ संख्या 38 से 71 पेश की गई।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने वादगत खसरान भूमि बाबत एक दावा घोषणात्मक विभाजन व रेकार्ड दुरूस्ती व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का पूर्व में न्यायालय ए.सी.एम. सुजानगढ़ में दावा अनवानी देवीलाल आदि बनाम रामसिंह वगैरह प्रस्तुत किया जो बाद में अन्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ को सुनवाई हेतु दिया गया, उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ के न्यायालय में मु. नं. 253/95 की संख्या पर दर्ज रजिस्टर किया। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता को पक्षकार बनाया और अप्रार्थी के पिता रामसिंह की मृत्यु की जानकारी होते हुये अप्रार्थीगण का रामसिंह का वारिस होने की जानकारी होते हुये पक्षकार नहीं बनाया और मृत व्यक्ति रामसिंह के विरुद्ध दावा पेश किया और उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ से अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह का दावा दायरी से पूर्व ही मृत होने व रामसिंह के अप्रार्थीगण वारिस होने से तथ्य को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया और न्यायालय से तथ्य छुपाकर दावा डिक्री करवा लिया, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को हुई तो अप्रार्थी मोहनसिंह ने उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ के निर्णय दिनांकित 05.07.1997 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में की तो आर.ए.ए. बीकानेर ने प्रार्थी देवीलाल वगैरह द्वारा रामसिंह की मृत्यु के तथ्य छुपाकर उपखण्ड अधिकारी कोर्ट रतनगढ़ से दावा प्रस्तुत करने का तथ्य जानकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 253/95 में उपखण्ड अधिकारी कोर्ट रतनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दावा/खारिज कर दिया। आर.ए.ए. बीकानेर के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रार्थी देवीलाल द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में की, जो अपील राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज फरमा दी गई। वादगत खेत खसरा नम्बर 59 तादादी 19.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 तादादी 1.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 तादादी 6.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 तादादी 4.19 हैक्टेयर कुल तादादी 31.58 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान में अप्रार्थी के पिता रामसिंह की 1/2 हिस्सा की खातेदारी है। खसरा नम्बर 59 पुराने खसरा नम्बर 59 सम्वत 2016 से पहले के खसरा नम्बर 42 मिन, खसरा नम्बर 60 पुराने खसरा नम्बर 58 सम्वत् 2016 से पहले के खसरा नम्बर 42 मिन, खसरा नम्बर 94 पुराने खसरा नम्बर 67 सम्वत 2016 से पहले के खसरा नम्बर 48, खसरा नम्बर 134 पुराने खसरा नम्बर 108 सम्वत् 2016 से पहले के खसरा नम्बर 87 रोही बापेऊ पुरोहितान सम्वत् 2003 की जमाबन्दी में खातेदार के रूप में अप्रार्थीगण के दादा लक्ष्मण वल्द गजराज का निरफ (1/2) हिस्सा दर्ज है। पैतृक आधार पर ही वादगत खेतो की खातेदारी में अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुई है। अप्रार्थीगण के पिता रामसिंह की मृत्यु दिनांक 14.11.1989 को हो गई। अप्रार्थीगण की माता तीजो बाई की मृत्यु दिनांक 03.12.1972 को गांव सोकड़ा तहसील बाली जिला पाली में हो चुकी थी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र में रामसिह के वारिसान को कथित पुत्र रामसिंह बतलाकर पेश किया गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने विवेचन में मोहनसिंह एवं श्रीमती जडाव रामसिंह के वारिस है। यह सही है कि राम सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र मूल या प्रमाणित नहीं है किन्तु रामसिंह के पुत्र मोहन सिंह ने स्वंय पिता की मुत्यु होने का कथन किया है एवं इसके खण्डन के अभाव में रामसिंह की मृत्यु होने व मृत्यु की दिनांक का बिन्दु प्रश्नवाचक नहीं रहता है का स्पष्ट उल्लेख किया है एवं अपीलान्ट (प्रार्थीगण) रामसिंह के वारिसान को पक्षकार बनातें हुए पुनः नया दावा पेश करने बाबत् निर्देशित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर में प्रस्तुत अपील का निर्णय सन् 2010 में ही हो गया परन्तु वादी/प्रार्थी द्वारा लगभग 14 वर्ष के बाद वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादी/प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष वाद में तय किये जाने है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:12 IST
Reason: SelfAttested